

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2016 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 16648

- =====
1. डॉ. जयश्री, पत्नी श्री रतिवंत कुमार मल्लिक, निवासी- 45, रीजेंसी गार्डन अपार्टमेंट, न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी, पी. एस.-पाटलिपुत्र, जिला-पटना ।
 2. डॉ. उषा यादव, पत्नी श्री शैलेंद्र कुमार यादव, निवासी 4/60, ऑफिसर्स फ्लैट, बेली रोड, थाना-कोतवाली, जिला-पटना।
 3. डॉ. रीता खरे, पत्नी डा. रवि कुमार सिन्हा, निवासी 206, उन्नती गृहम अपार्टमेंट, रोड नंबर 2, गर्दनीबाग, पी. एस.-गर्दनीबाग, जिला-पटना।
 4. डॉ. रंजीता, पत्नी डॉ. संजय कुमार, निवासी बी-401, ऑफिसर्स हॉस्टेल, बेली रोड, थाना-कोतवाली, जिला-पटना।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. सरकारी महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग, पटना अपने प्राचार्यके माध्यम से।
3. सरकारी महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग, पटना अपने प्राचार्य के माध्यम से।
4. मगध विश्वविद्यालय, बोधगया अपने कुलसचिव के माध्यम से।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली अपने सचिव के माध्यम से।

..... उत्तरदाता/गण

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री अभिनव श्रीवास्तव,
प्रत्यर्थी/ओं के लिए	:	जी. ए. 12 के.ए.सी. सुश्री नम्रता सिंह:
एस.यू. के लिए	:	श्री मो. फैज अहमद, अधिवक्ता
यू.जी.सी. के लिए	:	श्री प्रकाश चंद्र अग्रवाल, अधिवक्ता
	:	श्री हरे भास्कर गिलेश, अधिवक्ता

विचाराधीन मुद्दा : क्या याचिकाकर्ता, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा

जारी विनियमों द्वारा शासित विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मामले में लागू कैरियर उन्नति योजना के संबंध में विधियों के प्रावधानों के अनुसार सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ स्केल) और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति और उसके बाद परिणामी लाभ के लिए हकदार हैं।

क्या याचिकाकर्ता कैरियर उन्नति योजना के तहत पदोन्नति के लिए

अपने मामलों पर विचार करने के हकदार हैं, जैसा कि 27.07.1998 से लागू कैरियर उन्नति योजना के लिए कानूनों के संदर्भ में राज्य सरकार के दिनांक 20.07.2001 के निर्णय से संलग्न यूजीसी पैकेज के खंड-7 में निहित है और उन्हें पदोन्नति प्रदान करने के बाद परिणामी लाभ प्रदान किया जाता है।

निर्णय: उच्च शिक्षा विभाग में राज्य सरकार द्वारा यूजीसी पैकेज को न केवल विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कॉलेजों के संबंध में लागू करने का निर्णय लिया गया था, बल्कि राजकीय महिला कॉलेज, गर्दनीबाग/गुलजारबाग, पटना में कार्यरत शिक्षकों के संबंध में भी लागू किया गया था। यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता कैरियर उन्नति योजना के तहत पदोन्नति के लिए अपने मामलों पर विचार करने के भी हकदार हैं, जैसा कि यूजीसी पैकेज के खंड -7 में निहित है, जो राज्य सरकार के दिनांक 20.07.2001 के निर्णय से संलग्न है, जो 27.07.1998 से लागू कैरियर उन्नति योजना के लिए कानून के अनुसार है। राज्य सरकार के दिनांक 20.07.2001 और साथ ही 29.07.2010 के निर्णयों के अनुसार यह स्पष्ट है कि यूजीसी पैकेज का कार्यान्वयन न केवल विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों तक ही सीमित था, बल्कि पटना के गुलजारबाग और गर्दनीबाग में सरकारी महिला कॉलेज में कार्यरत शिक्षकों के लिए भी स्वीकार्य था।

क्या इस मामले के तथ्यों में एलपीए संख्या 211/2013 में पारित उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा लागू होता है, क्योंकि एलपीए संख्या 211/2013 में याचिकाकर्ता का दावा सरकारी महिला महाविद्यालय के तहत कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के बारे में था। क्या विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अधिनियम और यूजीसी अधिनियम द्वारा शासित हैं, जबकि सरकारी महिला महाविद्यालयों की सेवा शर्तें बिहार सेवा संहिता और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित हैं।

निर्णय: एलपीए संख्या 211/2013 का मामला राजकीय महिला महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के संबंध में था और सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के संबंध में किसी नीतिगत निर्णय के अभाव में, उस मामले में अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई थी, लेकिन वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता यूजीसी पैकेज का लाभ देने के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय के तहत लाभ की मांग कर रहे हैं, जिसे विधिवत अधिसूचित किया गया था और राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग और गुलजारबाग, पटना में कार्यरत शिक्षकों पर लागू किया गया था। दिनांक 29.07.2010 के संकल्प के खंड-2 से पता चलता है कि सेवानिवृत्ति की आयु के मुद्दे को छोड़कर संशोधित वेतनमान, नियुक्ति और पदोन्नति सहित अन्य सभी मुद्दे राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग / गुलजारबाग में कार्यरत शिक्षकों पर लागू किए गए थे।

इसके बाद, मानव संसाधन विकास विभाग में राज्य सरकार ने 29.07.2010 को एक और संकल्प जारी किया, जिसके द्वारा विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के संबंध में यूजीसी संशोधित वेतनमान का लाभ 01.01.2006 से लागू किया गया और यही लाभ राजकीय महिला कॉलेज, गर्दनीबाग/ गुलजारबाग, पटना के शिक्षकों को भी दिया गया। सेवानिवृत्ति की आयु के मामले को छोड़कर, संशोधित वेतनमान, नियुक्ति और पदोन्नति के मामले सहित अन्य सभी मुद्दे 01.01.2006 से लागू किए गए। याचिकाकर्ताओं को भी यूजीसी वेतनमान के तहत 01.01.2006 से उनके वेतनमान के संशोधन का लाभ दिया गया और याचिकाकर्ताओं का पदनाम भी "व्याख्याता" से बदलकर "सहायक प्रोफेसर" कर दिया गया।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

कोरम: माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हा

सी.ए.वी. निर्णय

तारीख: 19-09-2024

1. चार याचिकाकर्ता, जिन्हें सरकारी महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग और गर्दनीबाग, पटना में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था तथा वर्तमान में सहायक प्रोफेसर के रूप में पुनः नामित कर दिया गया है ने, सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ स्तर) एवं सह प्रोफेसर के पद पर कानून के प्रावधानों के संबंध में जो विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (इसके बाद से यू.जी.सी. के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी नियमों द्वारा शासित होता है, के पद पर प्रोन्नति हेतु उनके मामलों पर विचारार्थ प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश हेतु तत्काल रिट याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने आगे उनके पदोन्नति के बाद परिणामतः लाभ हेतु प्रार्थना की है।

2. याचिकाकर्ता संख्या 1, 2 और 3 सरकारी महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग, पटना में क्रमशः भूगोल, हिंदी और संगीत के विषयों में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं और याचिकाकर्ता नं। 4 सरकारी महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग, पटना में रसायन विज्ञान में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रही है। दोनों कॉलेज मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं और यू. जी. सी. द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

3. बिहार लोक सेवा आयोग (इसके बाद "बी. पी. एस. सी." के रूप में संदर्भित) द्वारा प्रकाशित दिनांक 04.09.1996 के विज्ञापन के अनुसार सरकारी महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग और गुलजारबाग, पटना में विभिन्न विषयों में

व्याख्याताओं के पंद्रह पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। याचिकाकर्ताओं को ज्ञापन संख्या 457 दिनांक 17.03.1998 के माध्यम से चयन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार व्याख्याताओं के पद पर नियुक्त किया गया था।

4. दिनांक 19.11.1981 के पत्र द्वारा राज्य सरकार ने सरकारी महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग और गर्दनीबाग , पटना में कार्यरत प्राचार्य और व्याख्याताओं के पद को पूर्व संवर्ग के पद के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया और बिहार राज्य के भीतर महाविद्यालयों और/या विश्वविद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए यू. जी. सी. वेतनमान मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सरकारी महिला महाविद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों पर लागू किया गया। विचाराधीन महाविद्यालयों को यू. जी. सी. अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) और 12 (बी) के तहत निहित प्रावधानों के संदर्भ में यू. जी. सी. द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसके अनुसार यू. जी. सी. उन योग्य महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिन्हें यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 12 (बी) के तहत केंद्रीय सहायता (यू. जी. सी. अनुदान) प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है।

5. मानव संसाधन विकास विभाग में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांकित 13.07.1933 द्वारा सरकारी महिला महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में शिक्षकों के पदों के खिलाफ काम करने वाले व्यक्तियों को बी. पी. एस. सी. की सिफारिश पर महाविद्यालय में दस साल की नियमित सेवा पूरी करने पर यू. जी. सी. वेतनमान में पहली बार पदोन्नति दी गई।

6. बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा दिनांकित 20.07.2001 का एक पत्र जारी किया गया था, जिसके द्वारा यू. जी. सी. पैकेज (संशोधित वेतनमान सहित) को लागू करने का निर्णय लिया गया था और इसे विधिवत अधिसूचित किया गया था। अधिसूचना की प्रति बिहार राज्य के भीतर विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों और सरकारी महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग और गर्दनीबाग, पटना के प्राचार्यों को भेजी गई थी। उक्त पत्र द्वारा राज्य सरकार ने उक्त पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 में निहित यू. जी. सी. पैकेज को लागू करने का निर्णय लिया, जिसमें बिहार राज्य के भीतर विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए स्वीकार्य वेतनमान के संबंध में प्रावधान हैं और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती और योग्यता के मामलों के साथ-साथ परिशिष्ट -1 में निहित कैरियर उन्नति योजना के संदर्भ में पदोन्नति के प्रावधानों के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं।

7. परिशिष्ट-1 में यू. जी. सी. पैकेज को राज्य सरकार ने अपने उच्च शिक्षा विभाग में स्वीकार कर लिया था।

8. इसके बाद, यू. जी. सी. ने विनियमों को जारी कर शिक्षकों के वेतनमानों को संशोधित कर उसमें निहित प्रस्तावों के साथ महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कार्य करते हुए एवं संकल्प दिनांकित 29.07.2010 के माध्यम से प्रत्यर्थी/राज्य ने बिहार राज्य के भीतर विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षकों के संबंध में संशोधित 01.01.2006 वेतनमान को लागू किया। यू. जी. सी. के संशोधित वेतनमान का इसी तरह 01.01.2006 के प्रभाव से लाभ सरकारी महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग /गुलजारबाग, पटना के शिक्षकों के संबंध में भी लागू किया गया था, जहां

याचिकाकर्ता काम कर रहे हैं।

9. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने पत्र दिनांकित 19.11.1981 के माध्यम से तर्क दिया है कि सरकारी महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग एवं गर्दनीबाग, पटना में पूर्व - संवर्ग पद के रूप में स्वीकृत किया गया था। बिहार राज्य के भीतर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्वीकार्य वेतनमान सरकारी महिला महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों पर भी लागू होता है। तदनुसार, समय-समय पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के तहत कॉलेजों में काम करने वाले शिक्षकों के संबंध में यू. जी. सी. के संशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन के बाद, सरकारी महिला महाविद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों को भी यू. जी. सी. के संशोधित वेतनमान में उनके वेतन में संशोधन का समान लाभ दिया गया था। दस साल की नियमित सेवा के पूरा होने पर यू. जी. सी. वेतनमान में समयबद्ध पदोन्नति बी. पी. एस. सी. की सिफारिश पर महाविद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों/व्याख्याताओं को भी अनुदान दिया जाता है।

10. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिनांक 20.07.2001 के पत्र के अनुसार, राज्य सरकार ने संशोधित वेतनमान सहित यू. जी. सी. पैकेज को लागू करने का निर्णय लिया, जिसे विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों के साथ-साथ सरकारी महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग और गर्दनीबाग, पटना के प्राचार्यों को सूचित किया गया था। उक्त पत्र द्वारा राज्य सरकार ने उक्त पत्र के परिशिष्ट-1 में निहित यू. जी. सी. पैकेज को लागू करने का एक सचेत निर्णय लिया है, जिसमें शिक्षकों के लिए स्वीकार्य वेतनमान के संबंध में प्रावधान शामिल हैं और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती और योग्यता के साथ-साथ परिशिष्ट-1 के खंड-7 में निहित कैरियर उन्नति योजना के संदर्भ में पदोन्नति के प्रावधान

भी दिए गए हैं।

11. 20.07.2021 के पत्र के अनुसरण में जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था, राज्य सरकार ने यूजीसी पैकेज के साथ संशोधित वेतनमान को लागू करने का निर्णय लिया, जिसे विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुल सचिव के साथ-साथ सरकारी महिला महाविद्यालयों, गुलजारबाग एवं गर्दनीबाग, पटना को संसूचित किया गया था। उक्त पत्र के द्वारा राज्य सरकार ने एक सचेत निर्णय द्वारा उसे लागू करने में उक्त पत्र के परिशिष्ट 1 में निहित था, जो शिक्षकों को स्वीकार्य वेतनमान के संबंध में प्रावधानित है एवं प्रावधान को रखता है जो नियुक्ति एवं योग्यता जो शिक्षकों के साथ-साथ कैरियर उन्नति योजना जो परिशिष्ट 1 के खंड 7 के संबंध में पदोन्नति के संबंध में था।

12. प्रत्यर्थी/राज्य दिनांकित 29.07.2010 के संकल्प से अन्य प्रस्ताव लेकर आया जिसके द्वारा यू. जी. सी. के संशोधित वेतनमान के लाभ बिहार राज्य के भीतर विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए, जिसमें सरकारी महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग और गुलजारबाग, पटना के शिक्षक भी शामिल हैं, लागू किए गए।

13. उपर्युक्त संकल्प दिनांक 29.07.2010 के खंड-2 के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि सेवानिवृत्ति की आयु के मामले को छोड़कर, संशोधित वेतनमान, नियुक्ति और पदोन्नति सहित अन्य सभी मुद्दों को 01.01.2006 के प्रभाव से लागू किया जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि उक्त निर्णय के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम और कानूनों में आवश्यक संशोधन भी लाए जाएंगे।

14. सरकारी महिला महाविद्यालय, संकल्प दिनांकित 29.07.2010 के

संदर्भ में सरकारी महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग एवं गर्दनीबाग, पटना में यू. जी. सी. के संशोधित वेतनमान में 01.01.2006 से उनके वेतन में 15,600-39,100/- में संशोधन का लाभ दिया गया था और उपरोक्त प्रस्ताव के खंड-3 को आगे बढ़ाते हुए याचिकाकर्ताओं का पदनाम भी "व्याख्याता" से बदलकर "सहायक प्रोफेसर" कर दिया गया।

15. विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कानून के अनुसार कैरियर उन्नति योजना के तहत पदोन्नति के अपने दावे पर विचार करने के लिए समय-समय पर शिक्षा विभाग के तहत संबंधित अधिकारियों के समक्ष कई अभ्यावेदन दायर किए हैं, लेकिन प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और अचानक 26.05.2016 को अधिसूचना द्वारा याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में लागू एसीपी योजना के तहत वित्तीय प्रगति प्रदान की गई। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं को एसीपी का अनुदान अतर्कसंगत, अनुचित और असमर्थनीय है।

16. याचिकाकर्ता कैरियर उन्नति योजना में निहित प्रावधानों के संदर्भ में सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ स्तर) और सह प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के हकदार हैं, जिसे बिहार राज्य के भीतर विश्वविद्यालयों के तहत विभिन्न कॉलेजों में काम करने वाले शिक्षक के संबंध में लागू किया जा चुका है।

17. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उक्त कॉलेजों के प्राचार्य और व्याख्याताओं का पूर्व-संवर्ग पद केवल यू. जी. सी. की सिफारिश के अनुसार वेतन को लागू करने के उद्देश्य से है और याचिकाकर्ताओं को अन्य लाभ बिहार शिक्षा सेवा नियमों के अनुसार लागू होते हैं।

18. विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अधिनियम और यू. जी. सी. अधिनियम द्वारा शासित होती हैं जबकि सरकारी महिला महाविद्यालयों की सेवा शर्तें बिहार सेवा संहिता और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती हैं।

19. सरकारी महाविद्यालय में शिक्षक बिहार शिक्षा सेवा के सदस्य हैं। अतः विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत बनाई गई कैरियर उन्नति योजना के तहत पदोन्नति सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि वे केवल बिहार सरकार के वेतन पर होते हैं। सरकारी महिला महाविद्यालय के शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है एवं वे सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं गैर-सरकारी महाविद्यालय के अन्य शिक्षक जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं, विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, अतः दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थियों ने 2012 के सी डब्ल्यू जे सी संख्या 21216 से उद्भूत 2013 के एल पी ए संख्या 211 के आदेश पर भरोसा किया है। कर्मचारी हैं, दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

20. मैंने पक्षकारों के लिए विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।

21. शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 19.11.1981 को जारी किए गए पत्र द्वारा बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-I और बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-II के तहत सरकारी महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग/गर्दनीबाग के तहत काम करने वाले शिक्षकों/व्याख्याताओं को पूर्व संवर्ग पद घोषित किया गया और सरकार ने सरकारी महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग और गर्दनीबाग, पटना के तहत काम

करने वाले शिक्षकों को समय-समय पर संशोधित यू. जी. सी. वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया।

22. प्रश्नगत महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्यातकों को भी यूजीसी वेतनमान में दस साल की नियमित सेवा की पूर्णता पर जो दिनांकित 13.07.1993 के अधिसूचना के माध्यम से अनुसंशित है को भी समयबद्ध प्रोन्नति प्रदान की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पत्र दिनांक 20.07.2001 (अनुलग्नक 6) के द्वारा सरकार ने यूजीसी पैकेज लागू किया जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों के साथ-साथ सरकारी महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग एवं गुलजारबाग के प्राचार्यों को संसूचित किया जाए। इसमें न केवल विभिन्न विश्वविद्यालयों के तहत महाविद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए स्वीकार्य वेतनमान के संबंध में प्रावधान शामिल थे, बल्कि सरकारी महिला महाविद्यालयों के तहत काम करने वाले शिक्षकों के लिए भी लागू किए गए थे। इसने महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए भर्ती और योग्यता के संबंध में प्रावधानों के साथ-साथ उक्त पत्र के परिशिष्ट-1 के खंड-7 में निहित कैरियर उन्नति योजना के संबंध में प्रावधान भी निर्धारित किए। पैकेज के कवरेज के संबंध में यू. जी. सी. पैकेज के परिशिष्ट-1 के अवलोकन पर यह कहा गया है कि यह योजना सभी विश्वविद्यालयों (कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर), महाविद्यालयों, के घटक, घाटे के अनुदान महाविद्यालयों और सरकारी बालिका महाविद्यालयों सहित अल्पसंख्यक महाविद्यालय के शिक्षकों पर लागू होती है। कृषि, चिकित्सा और पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों को संचार/पैकेज में परिकल्पित नियमों और शर्तों के अधीन बाहर रखा गया था। पैकेज का खंड-7 कैरियर उन्नति योजना से संबंधित है।

23. यहां यह ध्यान देना उचित है कि पदोन्नति के कानून के दबाव में जैसा कि माननीय कुलाधिपति द्वारा अनुमत एवं पत्र संख्या बी.एस.यू. 20/ 95 - 2133/जीएस (I) दिनांकित 23.09.1995 के उपरोक्त पत्रों के माध्यम से अधिसूचित कैरियर उन्नति योजना के लिए कानून 27.07.1998 के प्रभाव से लागू हुआ ।

24. इसके उपरान्त मानव संसाधन विकास विभाग में राज्य सरकार एक अन्य संकल्प दिनांकित 29.07.2010 जारी किया जिसके द्वारा यूजीसी में संशोधित वेतनमान के लाभ 01.01.2006 के प्रभाव से विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के संबंध में कार्यरत शिक्षकों पर लागू किया एवं यही लाभ सरकारी महिला महाविद्यालय, गर्दनीबा/गुलजारबाग, पटना के शिक्षकों को दिया गया । सेवानिवृत्ति के आयु को छोड़कर अन्य सभी मुद्दे जिसमें संशोधित वेतनमान, नियुक्ति एवं पदोन्नति को 01.01.2006 के प्रभाव से लागू किया गया । याचिकाकर्ताओं को यूजीसी वेतनमान के तहत 01.01.2006 के प्रभाव से उनके वेतनमान के संशोधन का लाभ भी दिया गया एवं याचिकाकर्ताओं का पदनाम भी 'व्याख्याता' से बदल कर सहायक प्रोफेसर कर दिया गया ।

25. राज्य सरकार के दिनांक 20.07.2001 के साथ-साथ 29.07.2010 के निर्णयों को बारीकी से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यू. जी. सी. पैकेज का कार्यान्वयन न केवल विभिन्न विश्वविद्यालयों के तहत महाविद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए, लेकिन गुलजारबाग और गर्दनीबाग , पटना में सरकारी महिला महाविद्यालय में काम करने वाले शिक्षकों के लिए भी स्वीकार्य है।

26. 1981 से जब गुलजारबाग और गर्दनीबाग , पटना में सरकारी

महिला महाविद्यालय में व्याख्याता के पद को पूर्व-संवर्ग पद घोषित किया गया था, तब से विश्वविद्यालयों के तहत महाविद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए यू. जी. सी. वेतनमान सहित वेतनमान सरकारी महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग /गुलजारबाग, पटना में शिक्षकों को प्रदान किया गया था।

27. 2013 के एल. पी. ए. सं. 211 में पारित इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होती है क्योंकि उस मामले के याचिकाकर्ता का दावा सरकारी महिला महाविद्यालय के तहत काम करने वाले शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के संबंध में था। सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के संबंध में किसी भी नीतिगत निर्णय के अभाव में, अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता यू. जी. सी. पैकेज के लाभ के अनुदान के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय के तहत लाभ की मांग कर रहे हैं, जिसे विधिवत अधिसूचित किया गया था और 2016 महाविद्यालय, गर्दनीबाग और गुलजारबाग, पटना में काम करने वाले शिक्षकों पर लागू किया गया था। दिनांकित 29.07.2010 के प्रस्ताव के खंड-2 से पता चलता है कि सेवानिवृत्ति की आयु के मुद्दे को छोड़कर संशोधित वेतनमान, नियुक्ति और पदोन्नति सहित अन्य सभी मुद्दे सरकारी महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग /गुलजारबाग में काम करने वाले शिक्षकों पर लागू किए गए थे।

28. ऊपर की गई चर्चाओं और उच्च शिक्षा विभाग में राज्य सरकार के यू. जी. सी. पैकेज को लागू करने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, न केवल विभिन्न विश्वविद्यालयों के तहत कॉलेजों के संबंध में, बल्कि सरकारी महिला कॉलेज, गर्दनीबाग /गुलजारबाग, पटना में काम करने वाले शिक्षकों के संबंध में भी, मेरी सुविचारित राय में याचिकाकर्ता कैरियर उन्नति योजना के तहत

पदोन्नति के लिए अपने मामलों पर विचार करने के भी हकदार हैं, जैसा कि यू. जी. सी. पैकेज के खंड-7 में निहित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा लागू की गई कैरियर उन्नति योजना के लिए कानून के संदर्भ में परिशिष्ट-1 के रूप में 27-07-1998 में जोड़ा गया है।

29. परिणामस्वरूप, इस रिट आवेदन की अनुमति है।

30. प्रतिवादी/विश्वविद्यालय सहित प्रतिवादी/राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वे माननीय कुलाधिपति द्वारा बनाई गई कैरियर उन्नति योजना के संबंध में दिनांकित 20.07.2001 के पत्र के परिशिष्ट - 1 के रूप में यूजीसी पैकेज के खंड-7 के अनुसार कैरियर उन्नति योजना कानून के तहत याचिकाकर्ताओं के पदोन्नति के मामले पर विचार करें ।

31. इस संबंध में अंतिम निर्णय उत्तरदाताओं द्वारा इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से पांच महीने की अवधि के भीतर अवश्य लिया जाना चाहिए।

32. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायाधीश)

प्रफुल्ल/- एएफआर

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।